न्यायालय – माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर

प्रकरण कमांक :- /2016–17 निगरानी R-1458-PBR/17

श्री आशीष बंसल
द्वारा आज दि 24/5/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 24/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

1– चतुरसिंह आयु 65 वर्ष

2– बरजोर सिंह आयु 62 वर्ष

3– महेन्द्र सिंह आयु 40 वर्ष

4– प्रहलाद सिंह आयु 45 वर्ष

5– अमर सिंह आयु 50 वर्ष पुत्रगण स्व0 श्री गिरवर सिंह गुर्जर निवासीगण ग्राम गुड़ी गुड़ा का नाका लश्कर ग्वालियर

.... आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाअध्यक्ष महोदय नवीन कलेक्टेट भवन ओहदपुर सिटी सेन्टर ग्वालियर म0प्र0 ....अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 26.04.2017 प्रकरण क्रं. 212/2015–16/द्वितीय अपील पारित न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर (राजस्व) जिला ग्वालियर ब उनमान चतुरसिंह आदि बनाम मध्य प्रदेश शासन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1458—पीबीआर/17 [चतुरसिंह/शासन] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2017	उभय पक्ष की ओर से ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26—4—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील इस आधार पर निरस्त की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन ग्वालियर विकास प्राधिकरण को किया गया है, और व्यवहार न्यायालय में ग्वालियर विकास प्राधिकरण पक्षकार नहीं था, इसलिए व्यवहार न्यायालय का आदेश ग्वालियर विकास प्राधिकरण पर लागू नहीं होता है । इस सम्बध मं तहसील न्यायालय द्वारा विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष एवं पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	